संख्या- 16/2024-2367-57-2024-1-G-2019 TC

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उ0प्र0, वाराणसी।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 29 अक्टूबर, 2024**

विषय:-धर्मार्थ कार्य निदेशालय के कार्य संचालन हेतु अधिष्ठान मद में बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-956/ध0का0वि0नि0/2024-25, दिनांक-28.10.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा धर्मार्थ कार्य विभाग, निदेशालय वाराणसी के संचालन हेतु अनुदान संख्या-084 के लेखा शीर्षक-2070-00-001-03-00 के विभिन्न मानक मदों प्राविधानित धनराशियों में से - 08-कार्यालय व्यय में धनराशि रू0 4.50 लाख एवं 42-अन्य व्यय मद में रू0 5.00 लाख (कुल धनराशि रू0 4.50+5.00=9.50 लाख मात्र) अर्थात कुल धनराशि रू0 9.50 लाख आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ कार्य निदेशालय के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-084 के लेखा शीर्षक-2070-00-001-03-00 के विभिन्न मानक मदों प्राविधानित धनराशियों में से 08-कार्यालय व्यय में धनराशि रू0 4.50 लाख एवं 42-अन्य व्यय मद में रू0 5.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 4.50+5.00=9.50 लाख मात्र (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस मद में व्यय की स्वीकृति प्रदान की जा रही है।
2. उक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय में वित्तीय नियमों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।
3. जिस प्रयोजन से धनराशि निर्गत की जा रही है उस प्रयोजन के पूर्ण होने पर अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
5. स्वीकृत की गयी धनराशि का आहरण निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 वाराणसी/आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पद धारक द्वारा शासनादेश के अनुसार कोषागार, वाराणसी से किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,50,000 (रुपये चार लाख पचास हजार मात्र) को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय **मानक मद** 08 कार्यालय व्यय (*2*) रुपये 5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 084 **लेखा शीर्षक** 2070000010300 धर्मार्थ कार्य निदेशालय **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-16-2024-2367-57-2024-1-G-2019 TC, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, वाराणसी।
4. मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

http://shasa

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।